of India, Bombay as also the details of licences reported to be lost or pilferred.

Changes in Dunkel's proposals

110. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government seek changes in the Dunkel's proposals relating to Intellectual Property Rights;

(b) whether the Cabinet Committee on Dunkel's package has since submitted its reports; and

(c) if so, what are the main changes Government suggest in the Dunkel's package?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (e) Government have not as yet taken a final view on the compromise proposals of DG GATT with regard to the Uruguay Round of Negotiations. A Group of Ministers held consultations with interested and knowledgeable persons representing political parties, trade and industry, economists, journalists and academicians in February 1992. The matter is also being discussed in the Consultative Committee of the Ministry of Commerce. Apart from the debate held on a private member's resolution in the Lok Sabha on some aspects of the DG GATT's proposals, Government propose to initiate a full debate in Parliament on this subject, and a final view would only be taken thereafter.

अधिशेष उत्पादन और चीनी का निर्यात

111. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन देश की खपत से अधिक होने का अनुमान है ;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिशेष उत्पादन का निर्यात करने का निश्चय कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो चालू मौसम में कितनी चीनी का निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष विश्व में चीनी उत्पादन में कमी आने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले वर्षों की तुलना में चीनी की अच्छी कीमतें मिलने की संभावना है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार चीनी निर्यात पर से एकाधिकार समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) :(क) से (च) चालू चीनी वर्ष अक्तूबर, 1991 में आरंभ हुआ और सितम्बर, 1992 में समाप्त होगा । इसलिए, अभी यह बताना संभव नहीं है कि क्या चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन देश में उसकी खपत की अपेक्षा अधिक होगा । वर्ष 1992–93 (अप्रैल, 1992 से मार्च, 1993) के लिए निर्यात हेतु अस्थायी तौर पर 2.5 लाख मी० टन चीनी निर्धारित की गई है । दि इंडियन शूगर एण्ड जनरल इण्डस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (आई एस जी आई ई आई सी) को जो कि देश में सभी चीनी मिलों का प्रतिनिधि शीर्ष निकाय है, चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन चीनी निर्यात करने का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि आई एस जी आई ई सी अपनी वाणिज्यिक परख का उपयोग तो करेगा किन्तु निर्यात से जो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी वह निर्यात हेतु होने वाली संविदा के समय लागू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगी ।